।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 3910 / 12-1 दिनांक 19/04/ 2016।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
गैरसैंण।

विषयः– दिवालीखाल किमोली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 429/1 एल0ए0 दिनांक 04–04–2016 एवं वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्ड़र राजि, देवाल का पत्रांक 508/12 दिनांक 18–04–2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्ड़र राजि द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा दिवालीखाल किमोली मोटर मार्ग के प्रस्ताव हेतु आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि के खसरा नम्बर 1040 मध्ये (बहत्तरा) का स्थलीय निरीक्षण वन दरोगा घेस के साथ किया गया जिसमें पाया गया कि चयनित भूमि पर ग्रामीणों द्वारा जगह–जगह पर कृषि हेतु खेत बनाये गये है तथा गौशाला/छप्पर बनाये गये है। ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर खेत बनाये जाने एवं गौशाला/छप्पर बनाये जाने के कारण चयनित भूमि पूर्ण रूप से खाली नहीं हैं, जिस कारण उक्त भूमि पर क्षतिपुरक वृक्षारोपण करना सम्भव नहीं हैं।

अतः आप अपने स्तर से किसी अन्य भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि उक्त भूमि का निरीक्षण कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र किया जा सकें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।